न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

स्पेशल अपील/एलआर/4343/2007/जयपुर

1– भौंरीलाल पुत्र स्व0 श्री लाद्या,
2– जगदीश पुत्र गोदू जाति गुर्जर निवासी ग्राम टीलावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

––– अपीलार्थीगण

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

––– रेस्पोडेन्ट

2– रामपाल पुत्र स्व0 श्री लाद्या,
3– घासी पुत्र गोदू जाति गुर्जर, निवासी ग्राम टीलावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

–––प्रारूपित रैस्पोडेंट्स

खण्ड–पीठ
श्री मुकेश शर्मा, अध्यक्ष
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः–
(1) श्री हेमन्त सोगानी, अभिभाषक, अपीलांट।
(2) श्री राजेन्द्र प्रसाद मीना, उप राजकीय अभिभाषक।
(3) श्री सीताराम शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं0 2 व 3

निर्णय **दिनांकः 13–3–2020**

यह स्पेशल अपील अन्तर्गत धारा 10 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम राजस्व मण्डल की विद्वान एकल पीठ, सदस्य श्री एन.के. जैन द्वारा अपील/एल0आर0/6215/2006/जिला जयपुर शीर्षक राजस्थान सरकार बनाम लाद्या में पारित निर्णय दिनांक 5–5–2007 के विरुद्ध प्रस्तुत कर स्पेशल अपील प्रस्तुत करने की अनुमति देने बाबत् प्रस्तुत की गयी है।

2– अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार, सांगानेर ने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (द्वितीय) जयपुर के समक्ष राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम टीलावाला में स्थित भूमि खसरा नं0 48 रकबा 20 बीघा 3 बिस्वा जमाबन्दी सम्वत् 2023 से 2026 में राजकीय चारागाह भूमि दर्ज रेकार्ड थी। दौराने भू–प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों ने बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के अवैद्यानिक तरीके से उक्त साबिक खसरा नं0 48 से बने हाल खसरा नं0 35 रकबा

4–70 है0 भूमि को लाद्या, जगदीश व घासी पुत्रान गोदू गुर्जर के नाम खातेदारी में दर्ज कर दिया जबकि भू–प्रबन्ध अधिकारियों को गत जमाबन्दी के इन्द्राजात परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं था। अतः उक्त भू–प्रबन्ध के इन्द्राज दुरूस्त की जाकर प्रश्नगत भूमि को पुनः राजकीय सिवायचक चारागाह दर्ज किया जावें। राजस्व मण्डल राज0 ने निर्णय दिनांक 8–4–2003 से अप्रार्थीगण की खातेदारी की जो भूमि गलती से भू–प्रबन्ध विभाग ने चारागाह दर्ज कर दी उसे गलत होना मानते हुए अप्रार्थीगण को ही भूमि का खातेदार कृषक होना माना तथा उसके बाद भू–अभिलेखों में प्रश्नगत भूमि पुनः खातेदारी में दर्ज हो गयी। इसलिए धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही चलने योग्य नहीं है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी ने दोनों पक्षों को सुनते हुए अपने निर्णय दिनांक 13–8–2004 से धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम निरस्त कर दिया जिस आदेश के खिलाफ निदेशक भू–अभिलेख एवं सम्भागीय आयुक्त जयपुर के यहां अपील होने पर उनके द्वारा अपने निर्णय दिनांक 1–8–2006 से अपील खारिज कर दी गई। उक्त आदेश दिनांक 1–8–2006 के विरूद्व राजस्व मण्डल अजमेर में द्वितीय अपील प्रस्तुत होने पर राजस्व मण्डल अजमेर की एकलपीठ ने दिनांक 5–5–2007 से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त करते हुए राजस्थान राज्य सरकार द्वारा धारा 136 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए भूमि को राजकीय चारागाह भूमि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये गये जिस निर्णय दिनांक 5–5–2007 से व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह स्पेशल अपील प्रस्तुत की गयी है।

3– उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

4– अपीलांट की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि अपीलाधीन निर्णय विद्वान एकलपीठ दिनांक 5–5–2007 तथ्यों एवं कानून के विपरीत होने से निरस्त योग्य हैं। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के अन्तर्गत भू–अभिलेख अधिकारी को मात्र यह अधिकार प्राप्त है कि वे राजस्व अभिलेखों में रही किसी लिपिकीय त्रुटि को दुरूस्त करें। राजस्व अभिलेखों में हो रहे विधिवत् इन्द्राज को निरस्त कर भूमि को राजकीय भूमि चारागाह अंकित कर देने संबंधी आदेश धारा 136 के अन्तर्गत पारित नहीं किये जा सकते थे। विद्वान एकलपीठ ने अपने अपीलाधीन आदेश का आधार मात्र जमाबन्दी सम्वत् 1989 से 30 जून 2009 के अनुसार विवादित भूमि चारागाह दर्ज है जबकि ऐसी कोई जमाबन्दी ही नहीं है। सम्वत् 2015 से 34 तक के बन्दोबस्त किये गये इन्द्राजात से पूर्व प्रश्नगत भूमि कभी चारागाह भूमि दर्ज नहीं रही। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के दिन तथा उसके पूर्व भूमि कृषि भूमि अंकित होने के साथ ही अपीलार्थीगण के हक पूर्वाधिकारियों की खातेदारी में दर्ज थी। बन्दोबस्त विभाग के अधिकारियों द्वारा किये गये उक्त इन्द्राजात क्षेत्राधिकार से बाहर होने की वजह से पूर्णतः अवैद्य व प्रभाव शून्य हैं। सम्वत् 1994 से 2003 के बन्दोबस्त की खतौनी रजिस्टर चकबन्दी में गोविन्दा व गोदू पुत्रान कालू गुर्जर का नाम अंकित होना सरकार ने स्वीकार किया है। इसलिए उसे साक्ष्य द्वारा साबित करने की अपीलार्थीगण

को कोई आवश्यकता नहीं थी। विद्वान एकलपीठ ने अपने अपीलाधीन निर्णय में उन तथ्यों का भी विवरण अंकित किया जो तथ्य अपील सं0 6215/2006 की पत्रावली में उपलब्ध ही नहीं है। राज्य सरकार की ओर से जो आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया उसमें मूल रूप से यह तथ्य स्वीकार किया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रभाव में आने से पूर्व जो बन्दोबस्त सम्वत् 1994 से 2003 की अवधि में सम्पन्न हुआ उसमें गोविन्दा व गोद्या पुत्रान कालू गुर्जर का नाम खातेदार कृषक के रूप में दर्ज था और तत्समय प्रश्नगत भूमि के साबिक खसरा नं0 39/1 रकबा 20 बीघा 1 बिस्वा थे। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अपने समवर्ती निर्णयों में यह निर्णित किया है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि के खातेदार कृषक थे और राजस्व भू–अभिलेख में उन्हें खातेदार कृषक अंकित किया जाना न्यायोचित है और उसे धारा 136 के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र पर निरस्त नहीं किया जा सकता। भू–अभिलेख अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी एवं सम्भागीय आयुक्त जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णयों में किसी प्रकार के हस्तक्षेप नहीं किये जा सकते हैं परन्तु फिर भी विद्वान एकलपीठ ने अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो पूर्णतः अवैद्य होने से निरस्त योग्य है। अतः स्पेशल अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय विद्वान एकलपीठ दिनांक 5–5–2007 निरस्त किया जावें।

5– रैस्पोडेंट की ओर से विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रश्नगत आराजी सम्वत् 2012 में चारागाह थी। प्रश्नगत आराजी बंजड़ थी लेकिन चारागाह के काम आ रही थी। विद्वान एकलपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 5–5–2007 कानून सम्मत होने से प्रार्थीगण की स्पेशल अपील निरस्त योग्य है।

6– हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

7– दिनांक 6–1–2020 को अपीलार्थीगण ने एक आवेदन अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 27–9–2007 को माननीय न्यायालय के द्वारा एक आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश में यह अंकित है कि इस भूमि से संबंधित प्रकरण सं0 6719/2006 उनवानी सरकार बनाम लादिया भी राजस्व मण्डल में लम्बित है। अतः उक्त रेफरेन्स को भी इसी अपील के साथ ही खण्डपीठ द्वारा सुना जावेगा। उक्त रेफरेन्स को भी इसी अपील के साथ संलग्न किया जाये।

8– पूर्व में दिनांक 27–9–2007 को ही इस संबंध में आदेश अंकित किया गया है। इसके बाद दिनांक 23–6–2008 की फर्द अहकाम में यह अंकित है कि मण्उल के पूर्व आदेश दिनांक 27–9–2007 की पालना में रेफरेन्स सं0 6719/2006 उनवानी सरकार बनाम लादिया को भी इसी अपील के साथ खण्डपीठ में लगाया जावें।

9– अतः प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार कर रेफरेन्स सं. 6719/2006 बउनवानी सरकार बनाम लादिया की पत्रावली भी

इस अपील के साथ संलग्न की जाकर रेफरेन्स का निस्तारण भी इस अपील के निर्णय के साथ किया जा रहा है।

10– माननीय एकल पीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 5–5–2007 में जो निष्कर्ष दिया गया है, वह निम्नानुसार है :–

> "विवादित भूमि प्रारम्भ से ही चारागाह दर्ज थी एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 लागू होने के समय भी यह चारागाह ही अंकित थी, जिसे बाद में भू–प्रबन्ध विभाग के अधिकारी ने आदेश दिनांक 13–1–1987 से प्रत्यर्थीगण के हक में दर्ज कर दिया जो उचित नहीं कहा जा सकता क्योंकि भू–प्रबन्ध विभाग को विद्यमान प्रविष्ठियों को दोहराना चाहिए था। अतएवं प्रस्तुत अपील ठोस आधारयुक्त होने से स्वीकार की जाती है। सम्भागीय आयुक्त जयपुर का निर्णय दिनांक 1–8–2006 व उपखण्ड अधिकारी (द्वितीय) जयपुर का निर्णय दिनांक 13–8–2004 निरस्त किये जाकर विवादित भूमि पुनः राजकीय चारागाह दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं।''

11– जिस निर्णय के विरुद्ध स्पेशल अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति चाही गयी है उस निर्णय दिनांक 5–5–2007 का गहनता से अध्ययन व अवलोकन किया गया।

12– न्यायालय राजस्व मण्डल की एकलपीठ के निर्णय दिनांक 8–4–2003 से धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत भू–राजस्व आयुक्त राजस्थान द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को निरस्त करते हुए सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी के आदेश दिनांक 13–1–1987 को उचित माना।

13– इस आधार पर उपखण्ड अधिकारी, जयपुर (द्वितीय) ने अपने निर्णय दिनांक 13–8–2004 में तहसीलदार सांगानेर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 खारिज किया जिसे विद्वान सम्भागीय आयुक्त ने अपने निर्णय दिनांक 1–8–2006 द्वारा यथावत रखा। इसके विरूद्ध अपील में राजस्व मण्डल की एकलपीठ ने अपने निर्णय दिनांक 5–5–2007 में अंकित किया कि पत्रावली में उपलब्ध समस्त राजस्व रेकार्ड के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विवादित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से ही चारागाह दर्ज थी एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय भी यह चारागाह दर्ज रही किन्तु तत्पश्चात् भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा यह भूमि प्रत्यर्थीगण के नाम दर्ज कर दी गई, जो उचित नहीं कहा जा सकता। अतः सम्भागीय आयुक्त, जयपुर का निर्णय दिनांक 1–8–2006 व उपखण्ड अधिकारी (द्वितीय) जयपुर का निर्णय दिनांक 13–8–2004 निरस्त किये जाकर विवादित भूमि पुनः राजकीय चारागाह दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं।

14– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित प्रतिलिपि नकल खतौनी जमाबन्दी मौजा टीलावाला सम्वत् 1994 में खसरा नं0 39/1 रकबा 20 बीघा 1 बिस्वा गोविन्दा व गोद्या पि0 कालू कौम गूजर सा0देह के नाम दर्ज है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 97 सन् 41 में भी यही

इन्द्राजात है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2001 में भी यही इन्द्राजात हैं। रजिस्टर चकबन्दी मौजा टीलावाला सम्वत् 1994 से 2003 में भी यही इन्द्राजात हैं। नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 1994 में खसरा नं0 39/1 रकबा 20 बीघा 1 बिस्वा गोदिया गोविन्द वल्द कालू गुर्जर दर्ज रही। नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 1995 से लेकर सम्वत् 2001, 2004, 2005, 2006 इत्यादि सम्वत् 2012 से 2015 में दर्ज है। अतः एकलपीठ के निर्णय में यह कथन उचित नहीं है कि नकल चकबन्दी रजिस्टर की प्रमाणित प्रति नहीं है।

15– एकलपीठ ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि पत्रावली में साबित व हाल नंबर के नक्शें तथा खसरा गिरदावरी सम्वत् 2012–2015 ही संलग्न नहीं है। ऐसी स्थिति में बिना मिलान किये ही साबिक व हाल खसरा नंबर का मिलान होना मान लिया गया जो उचित प्रतीत नहीं होता है। एकलपीठ का यह कथन भी उचित नहीं है क्योंकि प्रमाणित प्रतिलिपि नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 1995 से लेकर सम्वत् 2001, 2004, 2005, 2006, 2012 से 2015 में खसरा नंबर 39/1 रकबा 20 बीघा 11 बिस्वा गोविन्दा व गोद्या पि0 कालू कौम गूजर सा0देह के नाम दर्ज है। प्रमाणित प्रतिलिपि मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2015 से 2034 के अनुसार गत खसरा नं0 39/1 रकबा 20 बीघा 3 बिस्वा का वर्तमान नंबर 41 रकबा 20 बीधा 3 बिस्वा अंकित किया गया जो वास्तव में 48 है, सहवन से 41 अंकित कर दिया गया है जो मिलान क्षेत्रफल को देखने से भी स्पष्ट है कि खसरा नं0 41 खसरा नं0 47 व 49 के मध्य लिखा गया है।

16– नकल बन्दोबस्त जमाबन्दी ग्राम टीलावाला सम्वत् 2015 से 2034 में आराजी खसरा सं0 48 रकबा 20 बीघा 3 बिस्वा चारागाह दर्ज कर दी गई है जो किस आदेश से की गई है, पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। विवादित भूमि अप्रार्थीगण के पिता व ताउ की खातेदारी में नकल चकबन्दी रजिस्टर सम्वत् 1994 से 2003 में दर्ज रही है। खसरा गिरदावरी सम्वत् 1915 से 2006 तथा सम्वत् 2012 से 2015 में भी इनकी खातेदारी दर्ज है। जयपुर में खसरा गिरदावरी को रेकार्ड ऑफ राईट माना गया है। सम्वत् 2015 के सैटलमेन्ट में बिना अधिकार खातेदारी की भूमि चारागाह दर्ज कर दी गई जिसका सैटलमेन्ट को कोई अधिकार नहीं था।

17– मण्डल की एकलपीठ के निर्णय दिनांक 5–5–2007 में यह भी अंकित है कि विवादित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व भी चारागाह दर्ज थी लेकिन ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है बल्कि जमाबन्दी मौजा टीलावाला सम्वत् 97 सन् 41 में वर्तमान खसरा नं0 48 के गत खसरा नं0 39/1 जो कि गोविन्दा व गोद्या पिता कालू कौम गूजर के नाम दर्ज है, की किस्म बंजड़ अंकित है। इसी प्रकार नकल जमाबन्दी ग्राम टीलावाला सम्वत् 2001 में भी खसरा नं0 39/1 रकबा 20 बीघा 1 बिस्वा की किस्म बंजड़ अंकित है। रजिस्टर चकबन्दी मौजा टीलावाला सम्वत् 1994 ल0 2003 में भी खसरा नं0 39/1 की किस्म बंजड़ अंकित है। नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 1994,

1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, सम्वत् 2012 से 2015 इत्यादि में भी किस्म बंजड़ अंकित है जिससे स्पष्ट है कि पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात में विवादित भूमि अपीलार्थीगण के नाम दर्ज रही है तथा किस्म भी बंजड़ दर्ज रही है। सैटलमेन्ट द्वारा अपने अधिकार से परे जाकर सम्वत् 2015 में चारागाह दर्ज कर दी गई जबकि सैटलमेन्ट को केवल पूर्व के इन्द्राजात को ही दोहराने का अधिकार था।

18- उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मण्डल की एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 5-5-2007 विधिसम्मत नहीं होने से खारिज योग्य है।

19- रेफरेन्स सं0 6719/2006 धारा 82 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत भू-प्रबन्ध विभाग, जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 21-3-1998 द्वारा सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी सांगानेर के आदेश दिनांक 13-1-1987 एवं नामान्तरकरण सं0 1 को निरस्त कराने के लिए प्रस्तुत किया है। सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी सांगानेर के आदेश द्वारा सम्वत् 2015 के खसरा नं0 48 रकबा 20 बीघा के जो भी नये खसरा नं0 हाल भू-प्रबन्ध में बने हैं जो खसरा नं0 35 है, में से 20 बीघा रकबे पर प्रार्थीयान लादू, घासी, जगदीश पि0 गोद्या कौम गूजर सा0देह को खातेदार इस कारण दर्ज किया जावें क्योंकि सम्वत् 2012 के सकृषक गोविन्दा का आलौलाद फौत होकर प्रार्थीयान को पूर्व में गोविन्दा का वारिस माना गया है। किस्म भूमि बंजड़ दर्ज की जावें। उक्त आदेश के विरद्ध भू-प्रबन्ध आयुक्त जयपुर ने अपने आदेश दिनांक 21-3-1998 के द्वारा प्रकरण निदेशक भू-अभिलेख राजस्व मण्डल, अजमेर को इस अनुशंषा के साथ प्रेषित किया कि तत्कालीन सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी, सांगानेर द्वारा लगाये गये खसरा पत्रक का नोट व तस्दीक किया गया नामान्तरकरण सं0 1 एवं निर्णय दिनांक 13-1-1987 नियम विरूद्ध व फर्जी है एवं निरस्त योग्य है। इसलिए निरस्त किया जावें जिस पर प्रकरण दर्ज होने पर मण्डल की एकलपीठ निदेशक भू-अभिलेख राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय दिनांक 8-4-2003 द्वारा रेफरेन्स खारिज किया। दिनांक 28-9-2006 को निदेशक भू-अभिलेख राजस्व मण्डल अजमेर ने आदेश पारित किया कि निदेशक भू-अभिलेख राजस्व मण्डल की पीठ नहीं है, रेफरेन्स सुनने का अधिकार केवल राजस्व मण्डल की पीठ को है। भू-प्रबन्ध आयुक्त द्वारा भेजे गये रेफरेन्स को तत्कालीन निदेशक भू-अभिलेख श्री बी0बी0 महान्ति ने अपने आदेश दिनांक 8-4-2003 द्वारा केवल अपने स्तर पर ही रद्द कर दिया जबकि यह रेफरेन्स निर्णय हेतु राजस्व मण्डल की पीठ के समक्ष प्रस्तुत होना था। श्री महान्ति द्वारा निदेशक भू-अभिलेख के रूप में पारित आदेश 1954 ए0आई0आर0 (सुप्रीम कोर्ट) 340 के सन्दर्भ में प्रभावशून्य है तथा इस आदेश को प्रभावशून्य मानते हुए इस मामले को सुनवाई हेतु राजस्व मण्डल की किसी भी पीठ के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है। चूंकि वर्तमान में रेफरेन्स प्रार्थना पत्र की सुनवाई एकलपीठ के बजाय खण्डपीठ द्वारा किये जाने का निर्णय

लिया गया है। इस कारण यह मामला सुनवाई हेतु 29–9–2006 किसी भी खण्डपीठ के समक्ष प्रस्तुत हो।

इस निर्णय के क्रम में इस रेफरेन्स प्रकरण का भी निस्तारण किया जा रहा है।

रेफरेन्स सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी सांगानेर के आदेश दिनांक 13–1–1987 के विरूद्ध है जिसके द्वारा गत खसरा नं0 48 को प्रार्थीयान लादू, धासी, जगदीश पिस0 गोदिया कौम गूजर सा0देह की खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश दिया गया था। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि भू–प्रबन्ध विभाग के मिलान क्षेत्रफल में गत खसरा नं0 48 रकबा 20 बीघा 3 बिस्वा के नये खसरा नं0 निम्नानुसार बने हैं– 32/0–02, 33/0–03, 34/0–09,35/4–70,36/0–05,48/655/0–02, 47/655/0–09, 46/656/0–04,45/657/0–03,44/658/0–05,24/663/0–05, 25/664/0–11 बने हैं। प्रमाणित प्रतिलिपि मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2015 से 2034 के अनुसार वर्तमान खसरा नं0 48 रकबा 20 बीघा 3 बिस्वा का गत खसरा नं0 39/1 रकबा 20 बीघा 3 बिस्वा बना है। प्रमाणित प्रतिलिपि नकल खतौनी जमाबन्दी मौजा टीलावाला सम्वत् 1994 में खसरा नं0 39/1 रकबा 20 बीघा 1 बिस्वा गोविन्दा व गोद्या पि0 कालू कौम गूजर सा0देह के नाम दर्ज है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 97 सन् 41 में भी यही इन्द्राजात है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2001 में भी यही इन्द्राजात हैं। रजिस्टर चकबन्दी मौजा टीलावाला सम्वत् 1994 में खसरा नं0 39/1 रकबा 20 बीघा 1 बिस्वा गोदिया गोविन्दा वल्द कालू गुर्जर के दर्ज रही है। नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 1995, से लेकर सम्वत् 2001, 2004, 2005, 2006, सम्वत् 2012 से 2015 में भी यही दर्ज है। खसरा नं0 48 के पूर्व खसरा नं0 39/1 की किस्म बंजड़ दर्ज थी। जिससे स्पष्ट है कि पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात में विवादित भूमि अपीलार्थीगण के नाम दर्ज रही है तथा किस्म भी बंजड़ दर्ज रही है। सैटलमेन्ट द्वारा अपने अधिकार से परे जाकर सम्वत् 2015 में चारागाह दर्ज कर दी गई जबकि सैटलमेन्ट को केवल पूर्व के इन्द्राजात को ही दोहराने का अधिकार था।

20– अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार स्पेशल अपील स्वीकार की जाकर एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 5–5–2007 व रेफरेन्स/एल0आर0/ 6719/ 2006 बउनवानी सरकार बनाम लादिया निरस्त किये जाते हैं तथा विद्वान सम्भागीय आयुक्त जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 1–8–2006 व उपखण्ड अधिकारी (द्वितीय) जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–8–2004 यथावत् रखें जाते है। निर्णय की हस्ताक्षरित प्रति संबंधित रेफरेन्स में संलग्न की जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी) **(मुकेश शर्मा)**

सदस्य **अध्यक्ष**

<u>स्पेशल अपील/एलआर/4343/2007/जयपुर</u>
भौंरीलाल बनाम सरकार